Recommendation of DFO

1. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 141.92 हे0 कक्ष कमांक RF 848, 773, 774 आरक्षित वन भुमि PF 847, 845, 202, 201, 200, 197, 776, 781, 782 संरक्षित वन भूमि है।
2. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 141.92 हे0 वन संरक्षण अधिनियम 1980 (2) नियम 2003 के तहत कार्यकारी अभियन्ता (निमार्ण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (रीवा–सीधी–सिंगरौली नई बडी रेल लाईन) योजन अन्तर्गत वन भुमि रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है।
3. वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत प्रस्तावित वन भुमि कक्ष कमांक PF 781, PF 782 वन मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कोरीडोर मे संम्मिलित है।
4. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कोरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। (अ) 2.47 (9)– कोरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरंतरता में व्यावधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे। (ब) 2.47(10)– कोरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये।
5. कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

(मधु व्ही0 राज)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली